क

जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य

बनाम

फरीद अहमद टाक

ख

(सिविल अपील संख्या 4563/2019 आदि)

02 मई, 2019

[उदय उमेश ललित तथा इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति]

ग

सेवा विधि :

अनिवार्य सेवानिवृत्ति - औचित्य - उत्तरदाता अधिकारी को राज्य द्वारा सेवा विनियमों के अनुच्छेद 226(2) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया - रिश्वत की माँग तथा स्वीकार करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज होने के आधार पर घ *- इसे रिट याचिका दायर कर चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार करते हुए यह माना कि उत्तरदाता को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय केवल प्राथमिकी के आधार पर लिया गया था, बिना* ङ *उत्तरदाता के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों पर विचार किए तथा उत्तरदाता की ईमानदारी के संबंध में निर्णय लेने हेतु निर्धारित मानकों का भी पालन नहीं किया गया - माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा की गई - अपील में अभिनिर्धारित : उत्तरदाता को कभी* च *भी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया था, किन्तु खंडपीठ ने मामलों पर उसी आधार पर विचार किया, जो कि* छ *गलत था - मामले को सेवा विनियमों के अनुच्छेद 226(2) के खंड (iv) के दृष्टिकोण से भी नहीं परखा गया - अतः मामलों को पुनः विचार हेतु उच्च न्यायालय को वापस भेजा गया - जम्मू एवं कश्मीर सिविल सेवा विनियम - अनुच्छेद 226(2)।*

ज

अपील स्वीकार करते हुए तथा मामलों को उच्च न्यायालय को पुनः विचारार्थ भेजते हुए, न्यायालय ने

झ

क **अभिनिर्धारित किया कि: 1.वर्तमान मामलों में संबंधित उत्तरदाता अधिकारी को रिश्वत स्वीकार करते हुए कभी भी रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया था। तथापि, तीनों मामलों में समान प्रकार की टिप्पणियाँ यह संकेत करती हैं कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामलों पर उसी आधार पर विचार किया। अतः**
ख **मूल आधार ही त्रुटिपूर्ण था। इसके अतिरिक्त, मामले पर जम्मू एवं कश्मीर सेवा विनियमों के अनुच्छेद 226(2) के खंड (iv) के दृष्टिकोण से भी विचार नहीं किया गया। इन तीनों मामलों में स्वीकृति आदेशों में संबंधित उत्तरदाताओं द्वारा किए गए**
ग **कृत्यों एवं चूकों का उल्लेख है, जिनके परिणामस्वरूप राज्य को अनुचित हानि हुई तथा लोकहित प्रभावित हुआ। [पैरा 15] [11-B-D]।**

2. अतः वह मूल आधार, जिसके आधार पर उच्च
घ **न्यायालय की खंडपीठ ने मामले पर विचार किया, त्रुटिपूर्ण था और साथ ही मामला अनुच्छेद 226(2) के खंड (iv) के दृष्टिकोण से भी नहीं परखा गया। इसलिए, अपीलाधीन खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश निरस्त किए जाते हैं। मामलों**
ङ **को नए सिरे से विचार हेतु खंडपीठ को वापस भेजा जाता है। [पैरा 16] [11-ई-एफ]।**

गुजरात राज्य एवं अन्य बनाम सूर्यकांत चुनिलाल शाह **(1999) 1 एस.सी.सी. 529 : [1998] 3 पूरक**
च **एस.सी.आर. 293;** *बैकुंठ नाथ दास एवं अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारिपदा एवं अन्य* **(1992) 2 एस.सी.सी. 299 : [1992] 1 एस.सी.आर.**
छ **836;** *एम/एस रूप डायमंड्स एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* **(1989) 2 एस.सी.सी. 356 : [1989] 1 एस.सी.आर. 13;** *सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य* **(1989) 4 एस.सी.सी. 187 : [1989] 3 एस.सी.आर. 488;** *नारायण चौधरी*
ज *एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* **(1996) 7 एस.सी.सी. 1 : 1995 [6] पूरक एस.सी.आर. 178 - संदर्भित।**

झ

क

<u>निर्णयजन्य विधि संदर्भ</u>

[1998] 3 पूरक एस.सी.आर. 293	**संदर्भित**	**पैरा 8**
[1992] 1 एस.सी.आर. 836	**संदर्भित**	**पैरा 10**
[1989] 1 एस.सी.आर. 13	**संदर्भित**	**पैरा 15**
[1989] 3 एस.सी.आर. 488	**संदर्भित**	**पैरा 15**
[1995] 6 पूरक एस.सी.आर. 178	**संदर्भित**	**पैरा 15**

ख

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील संख्या 4563/2019।

जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू द्वारा एलपीएएसडब्ल्यू संख्या 182/2017 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.12.2017 से उत्पन्न। ग

साथ में

सिविल अपील संख्याएँ 4564 एवं 4565/2019।

एम. शोएब आलम, उज्ज्वल सिंह, गौतम परभाकर, मोजाहिद करीम खान, अधिवक्तागण अपीलकर्ताओं की ओर से। घ

प्रमोद कुमार शर्मा, अम्भोज कुमार सिन्हा, अधिवक्तागण उत्तरदाता की ओर से।

ङ

न्यायालय का निर्णय **उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति** द्वारा दिया गया। 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. ये अपीलें जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू द्वारा दिनांक 11.12.2017 को एलपीएएसडब्ल्यू संख्या 182/2017, एलपीएएसडब्ल्यू संख्या 159/2017 तथा एलपीएएसडब्ल्यू संख्या 180/2017 में पारित तीन पृथक निर्णयों से उत्पन्न हुई हैं। च छ

3. एलपीएएसडब्ल्यू संख्या 182/2017 के निर्णय से उत्पन्न अपील को प्रमुख वाद के रूप में लिया गया है तथा उक्त अपील तक पहुँचाने वाले तथ्यों का विस्तृत उल्लेख किया जा रहा है। ज

4. उत्तरदाता को वर्ष 1985 में जम्मू एवं कश्मीर के विद्युत विकास विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रूप में झ

क नियुक्त किया गया था और समय के साथ उन्हें सहायक कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। उत्तरदाता के विरुद्ध प्राथमिकी संख्या 30/2006- वीओजे (विजिलेंस संगठन, जम्मू) पुलिस स्टेशन विजिलेंस संगठन, जम्मू में दर्ज की गई, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2006 की धारा 5(1)(डी) सहपठित धारा 5(2) ख तथा रणबीर दंड संहिता की धारा 120-बी के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया। समयानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपों में पर्याप्त आधार पाए जाने पर अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त अपराध के संबंध में अभियोजन ग अभी भी लंबित है।

5. दिनांक 20.05.2015 को जम्मू एवं कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त/सचिव तथा विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग के सचिव से मिलकर घ एक समिति का गठन किया गया। यह समिति जम्मू एवं कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त/सचिव द्वारा जारी आदेशों के अधीन गठित की गई थी। जम्मू एवं कश्मीर सिविल सेवा विनियमों (संक्षेप में "विनियम") के अनुच्छेद 226(2) एवं 226(3) के अनुसार ङ अधिकारियों/कर्मचारियों के समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मामलों को समिति के समक्ष रखा गया। समिति ने दिनांक 21.05.2015, 11.06.2015 तथा 26.06.2015 को बैठकें कीं और उत्तरदाता सहित विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों पर विचार च किया। जहाँ तक उत्तरदाता का प्रश्न है, समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित उल्लेख किया गया :

> छ "आरोपित अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ऐसे कार्यों के लिए भुगतान किया जो निष्पादित ही नहीं किए गए थे, जिससे राज्य कोष को भारी हानि हुई। आरोपित अधिकारी ने कनिष्ठ अभियंता के साथ मिलकर धोखाधड़ीपूर्ण मापन दर्ज किए तथा अत्यधिक ज बिल तैयार कर निकासी की, जिससे अपने पद का दुरुपयोग किया। तदनुसार, विजिलेंस संगठन द्वारा प्राथमिकी संख्या 30/2006- वीओजे दर्ज की गई। मामले की जाँच पूर्ण की गई और आरोप सिद्ध पाए झ गए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी शासनादेश संख्या 34-

जीएडी (वीआईजी)/2012 दिनांक 20.09.2012 के माध्यम से अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई। यह मामला न्यायालय में आरोपपत्र सहित प्रस्तुत किया जा चुका है।

विभाग द्वारा यह भी सूचित किया गया कि अधिकारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (एसीआर) उपलब्ध नहीं हैं।

समिति ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अधिकारी ने विद्युत विकास विभाग में पदस्थ रहते हुए भ्रष्ट आचरण में संलिप्त होकर धोखाधड़ीपूर्ण तरीकों से राज्य कोष को हानि पहुँचाई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह लोकहित में अपनी उपयोगिता खो चुका है।

चूँकि अधिकारी के बारे में सामान्यतः खराब प्रतिष्ठा होने तथा अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी धन का गबन करने और षड्यंत्रपूर्वक झूठे/अत्यधिक मापन के आधार पर कपटपूर्ण बिल तैयार कर राज्य कोष को हानि पहुँचाने के आरोप हैं, इसलिए अनुशंसा की जाती है कि श्री फरीद अहमद टाक को जम्मू एवं कश्मीर सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 226(2) के अंतर्गत लोकहित में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाए। यह भी अनुशंसा की जाती है कि उन्हें नोटिस के स्थान पर अग्रिम रूप से तीन माह का वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाएँ।"

6. दिनांक 30.06.2015 को उपर्युक्त अनुच्छेद 226(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरदाता को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित किया गया। आदेश का पाठ इस प्रकार है :

"जबकि सरकार की यह राय है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है।

अतः जम्मू एवं कश्मीर सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 226(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार एस्टेट्स डिवीजन, जम्मू में कार्यभार

क ग्रहण किए हुए सहायक कार्यपालक अभियंता श्री फरीद अहमद टाक को यह नोटिस देती है कि उन्होंने 22

> वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और वे दिनांक 01.07.2015 के पूर्वाह्न से सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

ख

> उन्हें तीन माह के नोटिस के स्थान पर तीन माह का वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाने की अनुमति दी जाती है।

ग जम्मू एवं कश्मीर सरकार के आदेश से।"

7. उत्तरदाता ने दिनांक 30.06.2015 के उपर्युक्त आदेश को चुनौती देते हुए जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू के समक्ष रिट याचिका अर्थात् एसडब्ल्यूपी संख्या 2405/2015 दायर की। प्रत्युत्तर हलफनामे में राज्य ने अपनी
घ कार्रवाई का औचित्य सिद्ध करते हुए अन्य बातों के साथ यह कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश लोकहित में एक समिति द्वारा समुचित विचार के पश्चात पारित किया गया था, जिसमें अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित थे। उच्च
ङ न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 22.12.2016 के निर्णय एवं आदेश द्वारा रिट याचिका स्वीकार कर ली। माननीय एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि उत्तरदाता को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय केवल
च उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था, बिना उसके वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदनों (एपीआर) पर विचार किए। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता की ईमानदारी के संबंध में निर्णय लेने के लिए राज्य द्वारा
छ निर्धारित मानकों का भी पालन नहीं किया गया था और इस प्रकार उत्तरदाता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश स्थायी नहीं ठहराया जा सकता।

8. राज्य ने उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर लेटर्स पेटेंट
ज अपील अर्थात् एलपीएएसडब्ल्यू संख्या 182/2017 दायर की, जिसे उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 11.12.2017 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया। उसी दिन दो अन्य लेटर्स
झ पेटेंट अपील अर्थात् एलपीएएसडब्ल्यू संख्या 159/2017 तथा

180/2017 पर भी खंडपीठ द्वारा विचार किया गया और उनका निस्तारण किया गया। वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील पर विचार करते हुए खंडपीठ ने प्रमुख वाद के अनुच्छेद 16 में निम्नलिखित उल्लेख किया :

> "16. अपीलकर्ता की ओर से माननीय अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह तथ्य कि उत्तरदाता के विरुद्ध विजिलेंस संगठन द्वारा शिकायत दर्ज होने के पश्चात मामला पंजीकृत किया गया था और उसे रिश्वत की माँग तथा स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था, ऐसा मामला है जो **सूर्यकांत चुनीलाल शाह**[1] के मामले के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आता है और इस प्रकार उन परिस्थितियों में समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश विधि-विरुद्ध नहीं कहा जा सकता।"

उपरोक्त अनुच्छेद शब्दशः एलपीएएसडब्ल्यू संख्या 159/2017 के निर्णय में अनुच्छेद 15 के रूप में तथा एलपीएएसडब्ल्यू संख्या 180/2017 के निर्णय में अनुच्छेद 16 के रूप में भी उल्लिखित है।

9. राज्य इन निर्णयों से असंतुष्ट होकर वर्तमान अपीलों में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णयों की शुद्धता को चुनौती दे रहा है।

10. यह प्रस्तुत किया गया कि श्री एम. शोएब आलम, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित विधि, जिनमें प्रमुख निर्णय ***बैकुंठ नाथ दास एवं अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारिपदा एवं अन्य***[2] है, अत्यंत स्पष्ट है और ***बैकुंठ नाथ दास***[2] के निर्णय के पैरा संख्या 34 में निम्नानुसार संक्षेपित की गई है :-

> **"34.** उपर्युक्त चर्चा से निम्नलिखित सिद्धांत उभरकर सामने आते हैं :
>
> (i) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दंड नहीं है। इसमें कोई कलंक या दुराचार का संकेत निहित नहीं होता।

[1] गुजरात राज्य और अन्य बनाम सूर्यकांत चुन्नीलाल शाह - (1999)1 एससीसी 529

[2] (1992) 2 एससीसी 299

(ii) ऐसा आदेश सरकार द्वारा इस मत के आधार पर पारित किया जाता है कि किसी सरकारी सेवक को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना लोकहित में है। यह आदेश सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर पारित किया जाता है।

(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्थान नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि न्यायिक परीक्षण पूर्णतः निषिद्ध है। यद्यपि उच्च न्यायालय अथवा यह न्यायालय इस विषय की जाँच अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं करेंगे, तथापि वे हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि यह संतुष्ट हों कि आदेश (ए) दुर्भावनापूर्ण है या (बी) किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है या (सी) मनमाना है – अर्थात ऐसा कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति उपलब्ध सामग्री के आधार पर ऐसी राय नहीं बना सकता; संक्षेप में, यदि आदेश विकृत पाया जाता है।

(iv) सरकार (या पुनरीक्षण समिति, जैसा भी मामला हो) को निर्णय लेने से पूर्व सेवा का संपूर्ण अभिलेख देखना होगा – यद्यपि बाद के वर्षों के अभिलेख और कार्य-प्रदर्शन को अधिक महत्व दिया जाएगा। विचार किए जाने वाले अभिलेख में गोपनीय अभिलेखों/चरित्र रोल में दर्ज अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रविष्टियाँ सम्मिलित होंगी। यदि किसी सरकारी सेवक को प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है, तो ऐसी टिप्पणियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, विशेषकर तब जब पदोन्नति वरिष्ठता के बजाय योग्यता (चयन) के आधार पर हुई हो।

(v) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश केवल इस आधार पर न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता कि उसे पारित करते समय ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियों पर भी विचार किया गया था जिन्हें संबंधित अधिकारी को संप्रेषित नहीं किया गया था। यह परिस्थिति अपने आप में हस्तक्षेप का आधार नहीं बन सकती।"

आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने मुख्यतः इस न्यायालय के ***चुनिलाल शाह के प्रकरण***[1] में दिए गए निर्णय के पैरा संख्या 27 पर भरोसा किया है। उक्त पैरा संख्या 27 निम्नानुसार है :-

> **"27.** उपर्युक्त वर्णित संपूर्ण प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि ऐसा कोई ठोस आधार नहीं था जिसके आधार पर यह उचित राय बनाई जा सके कि उत्तरदाता एक सरकारी सेवक के रूप में अपनी उपयोगिता खो चुका था या उसकी दक्षता समाप्त हो गई थी और वह एक निरुपयोगी कर्मचारी बन गया था, फिर भी उसे केवल इस कारण अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया कि वह दो आपराधिक मामलों में संलिप्त था, जो कि फर्जी और काल्पनिक संस्थाओं के पक्ष में परमिट प्रदान करने से संबंधित थे। किसी व्यक्ति का किसी आपराधिक मामले में संलिप्त होना यह नहीं दर्शाता कि वह दोषी है। उसे अभी न्यायालय में विचारण का सामना करना है और सत्य का निर्धारण अंततः न्यायालय द्वारा किया जाएगा जहाँ अभियोजन संचालित होगा। उस अवस्था तक पहुँचे बिना केवल संलिप्तता के आधार पर किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित करना अत्यंत अनुचित होगा। तथापि हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसी आपराधिक मामले में मात्र संलिप्तता अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए प्रासंगिक सामग्री होगी या नहीं, यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों तथा कर्मचारी द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगा।"

11. श्री आलम ने प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत समिति अत्यंत उच्च अधिकारियों/पदाधिकारियों से मिलकर गठित थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जा रही थी। अपराध में उत्तरदाता की संलिप्तता तथा यह तथ्य कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी, वे कारक थे जिन्होंने समिति को प्रभावित किया, और यह निर्णय लोकहित में लिया गया। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश एक निष्कलंक आदेश था तथा **बैकुंठ नाथ दास**[2] के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों का पूर्णतः

क पालन करता था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि खंडपीठ इस प्रकरण के तथ्यात्मक परिदृश्य पर विचार करने में पूर्णतः विफल रही। अभियोजन का यह कभी भी मामला नहीं रहा कि सतर्कता संगठन ने उत्तरदाता को रिश्वत की मांग करते तथा स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। वास्तव में, वर्तमान तीनों प्रकरणों में से किसी में भी अभियुक्त को रिश्वत की
ख मांग करते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने का ऐसा कोई आरोप नहीं था।

12. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित माननीय
ग अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार शर्मा ने विभिन्न ऐसे आदेशों पर भरोसा किया जो इस न्यायालय द्वारा उन मामलों में पारित किए गए थे, जिनमें उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा समान परिस्थितियों में पारित निर्णयों के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिकाएँ निरस्त कर दी गई थीं। उन्होंने विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सी) सीसी
घ सं. 6027-6028/2017, जो कि जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू की खंडपीठ द्वारा एलपीएएसडब्ल्यू सं. 103/2016 एवं 122/2016 में दिनांक 07.10.2016 को पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हुई थीं, में पारित आदेशों तथा
ङ इस न्यायालय द्वारा तत्पश्चात पारित अन्य आदेशों पर निर्भरता व्यक्त की।

13. जिन उपबंधों के अंतर्गत उक्त समिति का गठन किया गया था, अर्थात् विनियमों के अनुच्छेद 226(2), उनमें
च ऐसे मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित है। उक्त अनुच्छेद 226(2) इस प्रकार है :

छ "(i) गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन सामान्यतः अत्यंत सावधानी से नहीं लिखे जाते और अनेक मामलों में पूर्ण रूप से उपलब्ध भी नहीं होते। अतः स्क्रीनिंग समिति को
ज किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व कर्मचारी की संपूर्ण सेवा अभिलेख सहित अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्री तथा प्रासंगिक सूचनाओं पर विचार करना चाहिए।

झ

(ii) जिन सरकारी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो, उन्हें सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। किसी सरकारी सेवक की सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित अभिलेख/सूचनाओं पर विचार किया जा सकता है :

- यदि कोई हो तो सरकारी सेवक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या एवं प्रकृति, जो संदिग्ध सत्यनिष्ठा अथवा भ्रष्टाचार से संबंधित हों।
- यदि कोई हो, तो उस सरकारी सेवक के विरुद्ध लंबित विभिन्न ऑडिट पैरा की संख्या और प्रकृति, जिनमें संबंधित सरकारी सेवक की संलिप्तता पाई गई हो।
- यदि कोई हो तो सरकारी सेवक के विरुद्ध लंबित विजिलेंस मामलों की संख्या एवं प्रकृति।
- यदि कोई हो तो वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदनों में दर्ज संदिग्ध सत्यनिष्ठा से संबंधित प्रतिकूल प्रविष्टियाँ।
- यदि कोई हो तो संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध चल रही विभागीय जाँचों/प्रारंभिक जाँचों की संख्या एवं प्रकृति।
- यदि कोई हो तो भ्रष्टाचार/संदिग्ध सत्यनिष्ठा से संबंधित प्रशासनिक फटकार/चेतावनी/दंड की संख्या एवं प्रकृति।
- कर्मचारी की सामान्य प्रतिष्ठा।

(iii) जो सरकारी कर्मचारी अकार्यक्षम पाए जाते हैं, उन्हें सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों की पहचान करते समय मूल विचार यह होना चाहिए कि वह कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत है, उस पर बने रहने के लिए उपयुक्त/समर्थ है या नहीं। यदि वह अपने वर्तमान पद पर बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता, तो उस निम्न पद पर उसकी उपयुक्तता/समर्थता पर विचार किया जाना चाहिए जहाँ से उसे पूर्व में पदोन्नत किया गया था।

(iv) कार्यकुशलता/प्रभावशीलता के विशिष्ट मानदंड वास्तव में निर्धारित नहीं किए जा सकते, क्योंकि वे प्रत्येक विभाग में कार्य की प्रकृति के अनुसार भिन्न होंगे। तथापि ये मानदंड संबंधित कर्मचारियों के वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदनों में निर्धारित प्रदर्शन एवं कार्यकुशलता/प्रभावशीलता से संबंधित मानदंडों के समान होने चाहिए। विशिष्ट कार्यों के लिए दो से तीन मानकों का निर्धारण किया जाना चाहिए।उदाहरणार्थ :

- शिक्षकों के लिए उनके छात्रों द्वारा प्राप्त उत्तीर्ण प्रतिशत।
- राजस्व कर्मचारियों के लिए राजस्व कार्य से संबंधित मानदंड, जैसे कि प्रमाणित की गई नामांतरण, पूर्ण की गई जमाबंदियाँ, जारी किए गए राजस्व पासबुक आदि।
- इंजीनियरिंग कर्मचारियों के लिए समय पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित मानदंड, बिना समय और लागत में अतिक्रमण के आदि।

संबंधित प्रशासनिक विभाग को अपने नियंत्रणाधीन प्रत्येक कर्मचारी वर्ग के लिए दो या तीन प्रमुख परिणाम क्षेत्रों/मानदंडों की पहचान करनी चाहिए जिनके आधार पर सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता/ प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके। ये मानदंड प्रशासनिक विभाग द्वारा पूर्व में ही स्क्रीनिंग समिति को सूचित किए जाने चाहिए।

(v) यद्यपि समीक्षा के समय कर्मचारी के संपूर्ण सेवा अभिलेख पर विचार किया जाना चाहिए, तथापि सामान्यतः किसी कर्मचारी को केवल अकार्यक्षमता के आधार पर सेवानिवृत्त नहीं किया जाना चाहिए यदि पिछले पाँच वर्षों में उसकी सेवा संतोषजनक पाई गई हो, अथवा यदि उसे पिछले पाँच वर्षों के भीतर उच्च पद पर पदोन्नत किया गया हो और उस उच्च पद पर उसकी सेवा संतोषजनक रही हो।

(vi) सामान्यतः किसी भी कर्मचारी को अक्षमता के आधार पर सेवानिवृत्त नहीं किया जाना चाहिए, यदि किसी भी स्थिति में वह अपने प्रकरण पर विचार किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिवर्षिता के कारण सेवानिवृत होने वाला हो।

(vii) समयपूर्व सेवानिवृत्ति का यह प्रावधान अधिशेष कर्मचारियों की संख्या घटाने अथवा आर्थिक बचत के उपाय के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार इसे किसी सरकारी सेवक के किसी विशिष्ट कदाचार के आधार पर औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने से बचने के लिए शॉर्टकट के रूप में भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तथापि उपयुक्त प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध किसी विशिष्ट कदाचार का संज्ञान उस समय भी आया हो, तो वह उपयुक्त समय पर उसके विरुद्ध समयपूर्व सेवानिवृत्ति की कार्रवाई कर सके।

(viii) एक बार जब प्रासंगिक सेवा नियम के अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि किसी सरकारी सेवक को निर्धारित आयु अथवा निर्धारित सेवा अवधि से आगे सेवा में बनाए रखा जाए, तो सामान्यतः वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक सेवा में बना रहेगा।"

14. श्री आलम के अनुसार अभियंत्रण कर्मचारियों के लिए खंड (iv) में निर्धारित प्रासंगिक मानदंड समय पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित था, बिना समय एवं लागत में वृद्धि के। उन्होंने प्रस्तुत किया कि न केवल उत्तरदाता के विरुद्ध प्रारंभ की गई अभियोजन कार्यवाही, बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अभियोजन स्वीकृति आदेश से भी यह स्पष्ट होता है कि लोकहित पूर्णतः प्रभावित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदाता द्वारा किए गए कृत्यों एवं त्रुटियों के कारण 16,00,000/- रुपये से अधिक की पूर्ण हानि हुई।

क 15. यह सत्य है कि विनियमों के उक्त अनुच्छेद 226(2) के अंतर्गत उसी समिति द्वारा की गई शक्ति के प्रयोग को स्वीकृति नहीं मिली थी और कुछ मामलों में खंडपीठ ने राज्य सरकार की दलील को अस्वीकार करते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उन आदेशों की पुष्टि की थी जिनमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेशों को निरस्त कर दिया गया था।
ख यह भी सत्य है कि उन मामलों में विशेष अनुमति याचिकाएँ संक्षेप में निरस्त कर दी गई थीं। तथापि यह सुव्यवस्थित विधि सिद्धांत है कि किसी विशेष अनुमति याचिका का मात्र संक्षिप्त निराकरण मामले के गुण-दोष[3] पर अंतिम निर्णय नहीं
ग माना जाता।

तथापि हमें इस विषय में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन तीनों मामलों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएँ उभरकर सामने आती हैं :

घ (क) इन तीनों मामलों में संबंधित उत्तरदाता अधिकारी को रिश्वत स्वीकार करते समय कभी भी रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया था। तथापि तीनों मामलों में समान प्रकार की टिप्पणियाँ यह दर्शाती हैं कि खंडपीठ ने मामलों पर इसी आधार पर विचार किया कि उत्तरदाताओं को रिश्वत माँगते
ङ और स्वीकार करते समय रंगे हाथ पकड़ा गया था। इस प्रकार मूल आधार ही त्रुटिपूर्ण था।

(ख) विनियमों के अनुच्छेद 226(2) के खंड (iv) के दृष्टिकोण से भी इन मामलों पर विचार नहीं किया गया। इन तीनों
च मामलों में अभियोजन स्वीकृति आदेशों से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित उत्तरदाताओं के कृत्यों एवं त्रुटियों के परिणामस्वरूप राज्य को अनुचित क्षति हुई तथा लोकहित प्रभावित हुआ।

छ

---

[3] **एम/एस रूप डायमंड्स एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य** - (1989) 2 एस.सी.सी. 356, पैरा 8; **सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य** - (1989) 4 एस.सी.सी. 187, पैरा 22; **योगेन्द्र नारायण चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य**
ज - (1996) 7 एस.सी.सी. 1, पैरा 5

झ

16. उपर्युक्त दोनों विशेषताएँ इन तीनों मामलों में समान रूप से विद्यमान हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, जिस मूल आधार पर खंडपीठ द्वारा इन मामलों पर विचार किया गया वह त्रुटिपूर्ण था और दूसरा, इन मामलों पर विनियमों के अनुच्छेद 226(2) के खंड (iv) के दृष्टिकोण से भी विचार नहीं किया गया। अतः हम उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एलपीएएसडब्ल्यू सं. 182/2017, 159/2017 तथा 180/2017 में पारित निर्णयों एवं आदेशों को निरस्त करते हैं। इन मामलों को पुनर्विचार के लिए खंडपीठ के पास वापस भेजा जाता है। उक्त लेटर्स पेटेंट अपील को उच्च न्यायालय के अभिलेख पर पुनर्स्थापित किया जाता है ताकि उन पर पुनः विचार किया जा सके।

17. उपर्युक्त सीमा तक अपीलें स्वीकार की जाती हैं। कोई व्ययादेश नहीं।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील स्वीकृत तथा मामले उच्च न्यायालय को पुनः विचारार्थ प्रेषित।

*यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।